



कार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

क्रमांक / 03 /अ-3/2014-15 प्रति

कॉण्डागांव, दिनांक 12.02.2015

सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, गंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,

विषय:- ग्राम आलोर तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव के पास/टोलों को राजरव ग्राम घोषित करने बाबत्।

जिस्सील फरसगांव जिला कोण्डागांव द्वारा दिनांक 25.08.2006 को ग्राम सभा अयोजित कर ग्राम आलोर के पारा/टोला को ग्रामों में विभाजन हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। तत्संबंध में तहसीलदार फरसगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) फरसगांव के जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला कोण्डागांव तहसील फरसगांव के पठहठनंठ 14 आलोर के ग्राम आलोर को विभाजित कर झाटीबन को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने बाबत् अधिसूचना जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर 12/2/15 रेजिला कोण्डागांव



पु०क्रमांक / 03 / अ-3 / 2014-15

प्रात	लिप:-	
1.		समिय, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्या
		विभाग / वंग विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रीपत्।
2.		आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग / भू—अभिलेख, रायपुर की ओ
	1 + 12 + 22 = 1 + 24 + 2 = 1	सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
3.		राचालक, भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवार्ह
		EG !
4.		आयुवत, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्। 🦠
5.	7 1 8 2	वन संरक्षक, वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6		परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० / वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल
		/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं
		आवश्कयक कार्यवाही हेतु।
7.		प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय कोण्डागांव की ओर
		सूचनार्थ एवं आवश्कयक कार्यवाही हेतु।
8.	***	अनुविभागीय अधिकारी (रा) कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
		कार्यवाही हेतु।
9.		तहसीलंदार, फरसगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
		in the second of the contract

कलेक्स, कलेक्स, 2 जिला कोण्डागांव



ार्यालय कलेक्टर एवं बन्दोबस्त अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़) //अधिसूचना//

कोण्डागांव, दिनांक 12 /02/2015

कमांक 03 /अ-3/14-15/2015 - यतः जिला कोण्डागांव अनुभाग कोण्डागांव तहसील तस्मांव के ग्राम आलोर से पारा/टोला झाटीगन को विभाजन हेतु दिनांक 25.08.2006 को ग्राम पंचायत आलोर ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किए जाने एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम का विभाजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार फरसगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) कोण्डागांव से अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

और यतः, छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सि ठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्य ग्राम का गठन करने सबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शित्रया अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्त संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्जित पारां/टोजा इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :--

ਰ. ਨ.	याम का नाम	यान में सम्मिलित पारा टोला का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	, (8)	(9)
1	झाटीबन ,	1. झाटीबन 2. भीमाभाटा 3. कोनाड़ीडीही	1050.238	उत्तर- मण्डारवण्डी दक्षिण- कोन्दाबेड़ा पूर्व - आलोर पश्चिम- कोकोड़ाजुगानार	14 आलोर	आलोर '	फरसगांव	कोण्डागांव



कलेक्टर एवं बंदोबरत अधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)



ce of the Collector & Settelment Officer, District Kondagadu (U.G.)

MNOTIFICATION//

Kondagaon dated. 12-/02-12015

No. 03 / A-3/14-15/2015 Whereas, the Proposal of Division of village Alore Tehsil-Pharasgaon, Sub Division-Kondagaon District- Kondagaon into Jhatiban village has been received with the recommondation of Tehsildar Kondagaon and Sub Divisional Officer (Revenue) Kondagaon increspect of the resolution passed in Gram Shaba held on 25-08-2006 at Mulmula.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that Para/Tola's shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:-

	3.			· 公司 医多二次 - 以下 第二章	7. 4	**		
S	Name of	"Para"/"Tolas":	Total:	Boundaries of village	Patwari	Name of	Tansil	F- District
NO.	village	included in	Area of	Smelling of the Years	Halka	Gram		17381101
A CO		village	village		a Number	Parich-ayat,		1-1
			*(in		A. GAM		Marine Co.	11.5
	1		sheetare)		-x 1			
$\{(1)\}$	= (2) -	(3)	(4)	(S)	(6)	(7)	(8)	700
	Jhatiban	l-Jhatiban	1050.238		14	Alore		
1.		2-Bhinabhata		North 1	Alore		r uni asguon	Kondagam
	1 2 marie	3- Konadidihi		Bhandarvandi				
	V	The second second						
			San The San San	South? Kondabeda		-4.		
			<i>st</i>					
		100		East- Alore				
			Association.			, ,		1.0
	9		3 4 4	West -	1			
	i he in			Kokodajuganar			N. A. S.	*
do.					4 4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	"	
	15 of	, N	·		Carlo L			
1	8.		9		* = 1		×	
·					77	The last		



Collector & Settlement Officer, District Kondagaon (C.G.)